



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ET 403792

08 APR 2019



अनुबन्ध विलेख

यह अनुबन्ध विलेख (1) परशुराम (2) रामसागर (3) संतराम (4) सहजराव (5) जगन्नाथ व (6) पप्पू पुत्रगण स्व० रामखेलावन (7) श्रीमती पार्वती पत्नी स्व० रामखेलावन निवासीगण-ग्राम-जुगौर, परगना तहसील व जिला-लखनऊ।

..... प्रथम पक्ष

एवम्

अनम लाईफ इन्फ्राहाईट्स प्रा० लि०, पंजीकृत कार्यालय-वाई०एम० सी०ए० बिल्डिंग, चतुर्थ तल, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ कार्पोरेट पहचान संख्या-U45201UP2013PTC060266 द्वारा निदेशक मोहम्मद आसिफ पुत्र मोहम्मद हाशिम, निवासी-म०नं०-631/152, सरोज विहार कालोनी, मुलायम नगर, इस्माईलगंज, लखनऊ, उ०प्र०।

.....द्वितीय पक्ष

के मध्य निष्पादित किया गया है।

SIGNATURE ATTESTED

R.C. VERMA
Adv. & NOTARY
Collectorate Court
Lucknow U.P. INDIA
Regd. No. 31/64/2000

Contd.....

जो कि प्रथम पक्ष भूमि खसरा संख्या-359 कुल रकबा-0.4250 हेक्टेयर में 5 बिसवा स्थित-ग्राम-जुगौर, परगना, तहसील व जिला-लखनऊ, के मालिक, कामिल व काबिज है। उक्त भूमि प्रथम पक्ष के नाम भू-राजस्व अभिलेखों में सहखातेदार संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है।

उक्त भूमि प्रथम पक्ष के पूर्ण मालिकाना कब्जे व दखल में मौजूद है और उक्त भूमि समस्त प्रकार के भारों-विवादों जैसे रेहन, बय, हिबा, जमानत, कुर्की मुकदमा इत्यादि से बरी व पाक-साफ है, जिसमें प्रथम पक्ष के अतिरिक्त अन्य कोई दावेदार या हिस्सेदार नहीं है। जिसे प्रथम पक्ष को हस्तान्तरित बन्धक, दान आदि करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

प्रथम पक्ष उक्त भूमि नम्बरी व पैमाइशी का विकास कर उस पर टाउनशिप विकसित करना चाहता है परन्तु प्रथम पक्ष आर्थिक कमजोरी के कारण टाउनशिप विकसित करने में असमर्थ है, द्वितीय पक्ष जो कि आर्थिक सुदृढ़ है, उन्हें टाउनशिप विकसित करने का पूरा ज्ञान व अनुभव है, ने प्रथम पक्ष के समक्ष उक्त भूमि पर टाउनशिप विकसित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के उक्त प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया है और द्वितीय पक्ष के सहयोग से प्रथम पक्ष टाउनशिप विकसित कराना चाहता है, लिहाजा हम उभयपक्ष निम्नलिखित शर्तों के पाबन्द होते हैं :-

1. यह कि द्वितीय पक्ष भूमि खसरा संख्या-359 कुल रकबा-5 बिसवा स्थित-ग्राम-जुगौर, परगना, तहसील व जिला-लखनऊ, का हर प्रकार से विकास कर अपने संशाधन से टाउनशिप विकसित करायेगा।
2. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त टाउनशिप को छोटे-बड़े आकार में भूखण्डों में विकसित करेगा एवं उक्त भूखण्ड तक पहुँचने हेतु उक्त भूमि में मार्ग निकालेगा।

SIGNATURE ATTESTED

R.C. VERMA
Adv. & NOTARY
Collectorate Court
Lucknow U.P. INDIA
Regd. No. 31/64/2000

3. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त टाउनशिप में विकसित भूखण्डों को विक्रय हेतु हर प्रकार से अपने संशाधन से प्रचार व प्रसार करेगा।

4. यह कि द्वितीय पक्ष भूखण्डों को विक्रय करने में क्रेता से अग्रिम धनराशि वसूल सकता है और उसकी रसीद देगा।

(3)

5. यह कि विक्रीत भूखण्डों का विक्रय विलेख निष्पादन एवं उपनिबन्धक कार्यालय में पंजीकरण प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर अथवा प्रथम पक्ष द्वारा नामित मुख्तारनामाआम के हस्ताक्षर द्वारा पंजीकृत कराया जायेगा।
6. यह कि विक्रीत भूखण्ड से प्राप्त विक्रय मूल्य में हिस्सेदारी प्रथम पक्ष का 53 प्रतिशत व द्वितीय पक्ष में 47 प्रतिशत की होगी।
7. यह कि प्रथम पक्ष किसी भी तरह कार्य शुरू हो जाने के पश्चात् कार्य को बाधित नहीं करेंगे और यदि वह करते हैं तो उसकी समस्त लागत व धनराशि द्वितीय पक्ष को देना होगा, इस प्रकार द्वितीय पक्ष भी भूमि विकसित करने का कार्य नहीं रोकेगा।
8. यह कि यदि उपरोक्त सम्पत्ति के मालिकाना विवाद उत्पन्न होता है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी तत्पश्चात् भूमि विकसित करने में किसी प्रकार की कोई रुकावट आती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।
9. यह कि प्रस्तावित टाउनशिप में पार्क की व्यवस्था होगी।
10. यह कि यदि भविष्य में किसी प्रकार का दोनों पक्षों में विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी दशा में दोनों पक्षों द्वारा विवाद को मिल बैठकर निपटाया जायेगा। यदि विवाद नहीं निपटता है तो दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त किये गये मध्यस्थ द्वारा निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। कोई पक्ष सक्षम न्यायालय में वाद दायर नहीं करेगा।
11. यह कि इस अनुबन्ध विलेख की सभी शर्तें उभयपक्षों उनके वारिसानों, एजेण्टों, प्रतिनिधियों पर समान रूप से प्रभावी होगी।



SIGNATURE ATTESTED 12

R.C. VERMA
Adv. & NOTARY
Collectorate Court
Lucknow U.P. INDIA
Regd. No. 31/64/2000

यह कि टाउनशिप विकसित करने में यदि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटना हो जाती है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी व हर्जाना द्वितीय पक्ष को अदा करना होगा।

13. यह कि आज दिनांक से पूर्व जो भी देनदारियों/सरकारी बकाया होंगे, उनको जमा करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।

अनुबन्धित भूमि का विवरण

भूमि खसरा संख्या-359 कुल रकबा-5 बिसवा
स्थित-ग्राम-जुगौर, परगना, तहसील व जिला-लखनऊ।

अतः यह अनुबन्ध विलेख उभय पक्ष ने अपने-अपने दिमाग की सही व दुरुस्त हालत में रुबरु गवाहान स्वस्थ चित्त व प्रसन्न मन से बिना किसी जोर व दबाव नाजायज के निष्पादित किया ताकि प्रमाण रहे व आवश्यकता पड़ने पर साक्ष्य के रूप में काम आवे।

लखनऊ

दिनांक : 15.05.2019

1. गवाह

नाम :

पुत्र

पता :

ह0/नि0अं0/प्रथम पक्ष



2. गवाह

नाम:

पुत्र

पता

ह0 द्वितीय पक्ष

(मोहम्मद आसिफ)

निदेशक

अनम लाइफ इन्फ्रा हाईट्स प्रा0लि0

टाइपकर्ता

(सोनू बालाजी)

कलेक्ट्रेट, लखनऊ

प्रालेखक

(नियाज अहमद)

एडवोकेट

हाई कोर्ट, लखनऊ

मो0नं0-9935393834

SIGNATURE ATTESTED

R.C. VERMA
Adv. & NOTARY
Collectorate Court
Lucknow U.P. INDIA
Regd. No. 31/64/2000